

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.08.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 10 मामलों में कुल 15 अभियुक्तों को 23 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 10 मामलों में कुल 15 अभियुक्तों को 23 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. मु0अ0सं0-612/11 धारा 279/338/427 भादवि के अभियुक्त शिवप्रकाश पुत्र शिवराम सिंह निवासी वडेहा थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 03 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. अ0सं0(एनसीआर)-14/06 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1- फूलचन्द्र पुत्र हिरालाल, 2- नन्दकिशोर पुत्र फूलचन्द्र निवासीगण गुरेह थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 1500-1500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. अ0सं0(एनसीआर)-54/04 धारा 323/504/ भादवि के अभियुक्त वसीम पुत्र बल्लू निवासी सिकहुला थाना जसपुरा जनपद बांदा को 01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4. मु0अ0सं0-14/05 धारा 379/411/504/506 भादवि के 03 अभियुक्तों 1-प्रांजल पुत्र सतेन्द्र तिवारी, 2-प्रांचल पुत्र सतेन्द्र तिवारी व 3-नरेन्द्र तिवारी पुत्र विश्वम्भरनाथ निवासीगण रामपुर थाना जसपुरा जनपद बांदा को 02-02 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5. अ0सं0(एनसीआर)- 156/20 धारा 323/504 भा0द0वि0 के 03 अभियुक्तों 1-बड़ी बिट्टी पत्नी मुन्ना, 2-पूजा पुत्री मुन्ना व 3-बच्चा पुत्र मुन्ना निवासीगण कुलकुम्हारी थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 01-01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
6. मु0अ0सं0-65/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त अखिलेश वर्मा उर्फ अजय वर्मा पुत्र रंजीत वर्मा निवासी देवीनगर कस्बा व थाना बबेरु जनपद बांदा को जेल में बिताई गयी अवधि कुल 07 माह 02 दिन के कारावास व 500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
7. मु0अ0सं0-28/18 धारा 60 आब0अधि0 के अभियुक्त दिनेश सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी समसुद्दीनपुर थाना मरका जनपद बांदा को 02 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
8. मु0अ0सं0-34/19 धारा 60 आब0अधि0 के अभियुक्त दिनेश पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी समसुद्दीनपुर थाना मरका जनपद बांदा को 02 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
9. मु0अ0सं0-47/07 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-धर्मराज पुत्र रामेश्वर 2-चुनकावन पुत्र जागेश्वर निवासीगण बिनवट थाना बबेरु जनपद बांदा को 01-01 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
10. मु0अ0सं0-91/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त शत्रुघन पुत्र जियालाल निवासी मुडवारा थाना मरका जनपद बांदा को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व 500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।